"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 6875/डी. 242/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2013)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम , 2013

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1899) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"भागीदारी-

(1) **भागीदारी की लिखत-**

(क)	जहां भागीदारी में, अभिदाय के कोई अंश नहीं है या जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक नहीं है.	एक हजार रुपये
(ख)	जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक है.	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त अंशों का एक प्रतिशत.
(ग)	जहां अभिदाय के अंश संपत्ति के माध्यम से लाये गये हों (नगद छोड़कर), अथवा जहां कालोनी विकास के प्रयोजन हेतु भागीदार अपनी स्थावर संपत्ति के अंश का अभिदाय, भागीदारी फर्म के पक्ष में करता हो.	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.

(2) **भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति -**

(क)	जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को भागीदारी में अभिदाय के अपने अंश के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने अंश के रूप में ली जाती है.	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक-23) के रूप में लगता है.
(ख)	किसी अन्य मामले में.	पांच सौ रुपये.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 6875/डी. 242/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 27 of 2013)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT 2013

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp Act, 1899 (Chhattisgarh Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, shall be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Article 46 of Schedule I-A.

3. For Article 46 of Schedule I-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"Partnership-

(1) **Instrument of partnership-**

(a)	Where there is no share of contribution in partnership or where the share of contribution (brought in by way of cash) does not exceed rupees 50,000.	One thousand rupees.
(b)	Where such share of contribution (brought in by way of cash) is in excess of rupees 50,000.	Two percent of the shares contributed subject to a maximum of rupees five thousand.
(c)	Where such share contribution is brought in by way of property, (excluding cash). OR Where for the purpose of Colony Development, a partner contributes of the share of his immovable property in favour of the partnership firm	Two percent of market value of such property.

(2) **Dissolution of partnership or retirement of a partner-**

(a)	Where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that prperty as his share of contribution in the partnership.	The same duty as a conveyance (No. 23) on the market value of such property.
(b)	In any other case.	Five hundred fifty rupees.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.